creation of awareness and preaching of moral values will not really solve the problem.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

निजी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन

*465. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के इस्पात उत्पादकों द्वारा इस्पात उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष की प्रथम छमाही में वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) वर्ष की प्रथम छमाही के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में पिछड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में उनके उत्पादन ढांचे का अवलोकन किया है?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक): (क) निजी क्षेत्र के इस्पात उत्पादकों के इस्पात उत्पादन संबंधी लक्ष्यों का सरकार द्वारा प्रबोधन नहीं किया जाता है।

(ख) वर्ष की प्रथम छमाही (जनवरी—जून, 1998) के दौरान निजी क्षेत्र की इकाइयों में 75 लाख टन परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का वास्तविक उत्पादन होने का अंतिम रूप से अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात जनवरी—जून, 1997 के दौरान, 72.7 लाख टन का उत्पादन हुआ था।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Equation of Tourism with an Export Industry

*467. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Indian Institute of Foreign Trade has made any study on the potential of foreign exchange earnings of the tourism industry;

(b) if so, what are the details of this study;

(c) whether his Ministry has made any effort to treat tourism as an export; and

(d) if so, details of such efforts to equate tourism with an export industry?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

(c) and (d) In recognition of the significant potential of the tourism industry as a net foreign exchange earner, Government have provided several incentives to hotels. The Section 80 HHD of the Income Tax Act 1961 allows fiscal benefits. Hotels earning foreign exchange are also allowed import of several items for their use at the project stage and at the operational state in the form of project import as well as incentive quota. The provisions of the Export Promotion Capital Goods Scheme under the EXIM Policy have also been extended to the service sector which covers hotels etc. Government have also liberalised norms for foreign equity participation in hotels as well as in the matter of obtaining technical collaboration from international agencies etc.

राजधानियों में बेरोजगार युवा

*468. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में बेरोजगार युवाओं का प्रतिशत कितना है;

(ख) इनमें से शिक्षित बेरोजगारों और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राजधानी-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) के (ग) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमानित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०ओ०) द्वारा प्रकाशित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर है। यह सर्वेक्षण पिछली बार 1993-94 में किया गया था। यह सर्वेक्षण राज्य स्तर पर विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध कराता है। संपूर्ण जनसंख्या एवं शिक्षित व्यक्तियों के लिए राज्यवार अलग-अलग बेरोजगारी की दर व ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)।

तथापि, श्रम मंत्रालय देश में बेरोजगारी की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराता है।

इस श्रम बल सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि देश में दिनांक 1.1.94 को सामान्य मुख्य स्तर (यू०पी०एस०) के अनुसार 90 लाख बेरोजगार हैं जिनमें से 55.3 लाख शिक्षित बेरोजगार थे तथा शेष 34.7 लाख अशिक्षित बेरोजगार युवक थे।

विवरण

विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में सामान्य मुख्य स्तर (यू०पी०एस०) की बेरोजगारी दर

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बेरोजगारी की दर			
	संपूर्ण		शिक्षित*	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	0.8	3.7	7.6	9.5
अरुणाचल प्रदेश	1.1	2.6	7.7	2.9
असम	7.3	9.7	33.4	17.5
बिहार	2.0	7.6	10.4	13.7
गोवा	11.4	11.0	16.1	14.0
गुजरात	1.2	3.7	5.0	4.4
हरियाणा	2.7	3.2	10.2	5.7
हिमाचल प्रदेश	1.6	3.4	8.5	4.6
जम्मू एवं कश्मीर	1.4	7.6	5.0	8.8
कर्नाटक	1.1	4.3	9.9	7.7
केरल	9.4	12.0	27.2	21.4
मध्य प्रदेश	0.6	5.5	6.6	9.6
महाराष्ट्र	1.2	4.9	7.1	6.9
मणिपुर	1.7	5.0	6.4	10.1
मेघालय	0.2	2.0	1.2	3.3
मिजोरम	1.4	0.5	10.6	1.3
नागालैंड	1.7	6.9	2,7	9.8
उड़ीसा	2.4	7.4	13.4	13.8
पंजाब	1.8	3.8	5.4	6.8
राजस्थान	0.4	1.8	4.7	2.9
सिक्किम	1.2	3.1	4.6	4.9
तमिलनाडु	2.1	5.9	12.5	10.7

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	2.6	9.0	16.7	16.9
उत्तर प्रदेश	1.1	3.4	4.8	5.5
पश्चिम बंगाल	3.0	9.6	16.7	16.2
अंडमान एवं निकोबार	5.9	10.1	16.1	12.8
चंडीगढ़	3.0	7.6	7.3	9.6
दादर एवं नागर हवेली	1.1	0.0	3.0	3.8
दमन एवं दिउ	0.0	5.8	2.5	5.5
दिल्ली	1.3	1.5	0.0	2.4
लक्षद्वीप	17.7	20.6	24.8	20.3
पांडिचेरी	2.5	7.3	8.4	13.1
संपूर्ण भारत	1.8	5.2	10.3	8.9

नोट (*) शिक्षित व्यक्तियों की संख्या उन व्यक्तियों के संदर्भ में है जो सेकेण्डरी स्कूल या अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और जिनकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक हो।

Central Legislation for Agricultural Workers

*469. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to pass a comprehensive Central legislation for agricultural workers;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of meetings with the State Labour Ministers or communications were sent to the States in this regard; and

(d) what are the details of the opinion of State Governments in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYANA JATIYA): (a) to (d) Although a Bill to provide for regulation of employment and conditions of service and to provide certain welfare measures to the agricultural workers has been drafted it has not been possible to take it to its logical conclusion on account of the varying perceptions of the State Govts. arising out of widely different socio cultural and agro climatic conditions, agricultural practices and employer—employee relationship obtaining in different States.

The reservations which some of the State Govts./UTs have on the need for enactment of a central legislation for regulation of employment and conditions of service of agricultural workers could be attributed to the following:

* This is a State subject and should be left to the State Govt. to enact a need based law keeping in view the prevailing local conditions.

  Enactment of a legislation would introduce the industrial disputes culture in agriculture and would strain employer—employee relationship therein. This would adversely affect production and productivity in agriculture.

* Even though similar attempts have been made in Kerala (1974) followed by Tripura (1986) implementation of the legal provisions has not been effective in these States.

* Due to general shortage of labour in some States there is no exploitation of agricultural labour and, therefore, there is no need for additional